

1819046 / 19-9-18

आदेश संख्या/जीएसटी -2018-19/

26 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०  
(जीएसटी अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 19, सितम्बर, 2018

**:आदेश:**

**विषय:-** उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 117(1A) के अन्तर्गत प्रारूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का विस्तार ।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 117(1A) सपठित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उ०प्र० अधिनियम सं०- 1 सन् 2017) की धारा 168 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो कॉमन पोर्टल पर तकनीकी कठिनाईयों के कारण देय तिथि तक घोषित टीआरएएन-1 जमा नहीं कर सके और जिनके मामले परिषद द्वारा अनुशंसित किये गये हैं, मैं कमिश्नर, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 117(1A) के अधीन प्रारूप जीएसटी टीआरएएन-1 में विवरण प्रस्तुत करने की अवधि को दिनांक 31-01-2019 तक बढ़ाती हूँ।

(कामिनी चौहान रतन)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।